# आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करें : डॉ. गावंडे

**जालोर**, (कासं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के त्वरित, गुणात्मक एवं सकारात्मक निराकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम एकीकृत परिवाद निवारण प्रणाली ''अटल जन सेवा शिविर'' के तहत जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने गुरूवार को डीओआईटी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा बैठक तथा जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में आमजन की परिवेदनाएं सुनकर उनका निस्तारण किया गया।

जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं से रूबरू होकर विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने रास्ते से अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी करने, एफसीआई कॉलोनी में वोल्टेज की समस्या का समाधान करने एवं नगर परिषद, विद्युत, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों से जुड़े परिवाद सुनकर मौके पर ही विभागीय अधिकारियों से मामले की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही।

जनसुनवाई के दौरान नर्मदा ई.आर.प्रोजेक्ट से जुड़े ग्रामों में पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन को हटाने के प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला कलक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जालोर के डी.ओ.आई.टी. सभागार में अटल जन सेवा शिविर में जिला कलैक्टर डॉ.प्रदीप के .गावंडे ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। फोटो-राष्ट्रदूत

इसी प्रकार जनसुनवाई में छात्रवृत्ति न मिलने की समस्या को लेकर उपस्थित हुए परिवादी के प्रकरण में जिला कलक्टर ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले की उचित जांच करने के लिए जिला रसद अधिकारी को निर्देशित कर पात्रता अनुरूप लाभ दिए जाने की बात कही। जिला कलैक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जन सुनवाई के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कुल 31 परिवाद प्रस्तुत हुए। जिनमें से 4 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

इस अवसर पर उन्होंने जिल जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में 3 दर्ज प्रकरणों की सुनवाई कर एक प्रकरण का मौके पर निस्तारण कर शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलैक्टर राजेश मेवाड़ा, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिदंबरा परमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश सिंघारिया, सीएमएचओ डॉ. भैराराम जाणी, जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल, सतर्कता शाखा के अनिल कुट्टी सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे तथा वीसी के माध्यम से उपखंड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

## मोरखा पंचायत को यथावत रखने की मांग बताई

**पाली**, (नि.सं.)। राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायतों का पुनर्गठन होना तय हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत मोरखा तहसील देसूरी को भंग करते हुये दुसरे अन्यत्र गांव सिन्दरली पंचायत में मर्ज करने का प्रस्ताव तैयार होने के फलस्वरूप बुधवार को मोरखा ग्रामवासी द्वारा जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को ग्राम पंचायत मोरखा को पूर्व की भांती ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाये रखे जाने के लिए ज्ञापन दिया गया।

मोरखा ग्राम वासियों ने बताया गया कि यदि ग्राम पंचायत मोरखा को अन्यत्र पंचायत में मर्ज किया जाता है तो मोरखा ग्राम वासियों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड सकता है। सिन्दरली मोरखा गांव से लगभग 4 किमी दूर पर है व बीच में नदी आती है। साथ ही ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि जब से राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी उस समय से ग्राम पंचायत मोरखा कायम है। वर्तमान में गांव की कुल आबादी लगभग 4500 के आस-पास है।

वर्तमान में ग्राम पंचायत मुख्यालय मोरखा में सरकारी विद्यालय एवं एक निजी विद्यालय, दो आंगनवाडी केन्द्र, एक उप स्वास्थ्य केन्द्र भी है। ग्राम पंचायत मोरखा मुख्यालय में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति भी है जो कि वर्तमान में 04 गांवों से जुड़ी हुई है जो कि तीन ग्राम पंचायतों को भी जोड़ कर रखती है।

ग्राम पंचायत मोरखा में पटवार भवन एवं ग्राम पंचायत भवन भी बना हुआ है जो पूर्ण रूप से सुसज्जित है एवं गांव के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। ज्ञापन प्रस्तुत करने में ग्राम मोरखा के किकाराम चौधरी, चिमन दास वैष्णव, मांगीलाल चौधरी पूर्व सरपंच, सरदार सिंह, मोहन चौधरी उपसरपंच, रघु देवासी, विजय चौधरी आदि के साथ ग्रामवासी उपस्थित रहे।

# वृद्ध व्यक्ति से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

सायला में वृद्ध के साथ मारपीट करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गोस्वामी समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। फोटो-राष्ट्रदूत

**सायला**, (निसं)। सायला पुलिस थानाक्षेत्र के पोषाणा-सियावट स्थित एक होटल पर वृद्ध व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मारपीट करने क आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंन्द्र यादव के निर्देशानुसार थानाधिकारी सुरेन्द्रसिंह द्वारा एएसआई राजाराम और हेड कांस्टेबल भूराराम के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें गठित की गई। टीम द्वारा वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले व्यक्ति के संबंध में तुरन्त प्रभाव से पता लगाकर मोबाईल लोकेशन के आधार पर मारपीट करने वाले शख्स बलवंतसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी देतादुर्ख पुलिस थाना सायला को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया।

पीडित टीकमपुरी पुत्र हकमपुरी गोस्वामी (59) निवासी देताखुर्द ने रिपोर्ट पेशकर बताया कि पोषाणा-सियावट पर उसकी खाने की होटल आई हुई है। 14 अप्रेल की रात्रि 10ः30 बजे के लगभग बलवंतसिंह उर्फ पिन्टूसिंह पुत्र हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी देताखुर्द शराब पीकर उसकी होटल पर आया और गाली गलौच करने लगा तथा कहा कि वो जहां कहेगा वहां उसके पुत्र का संबंध करना होगा। तब टीकमपुरी के मना करने पर बलवंतसिंह उर्फ पिन्टूसिंह आवेश में आकर मारपीट करने लगा। तब टीकमपुरी के चिल्लाने पर होटल पर आये उसके पुत्र रावलपुरी और गोविन्द पुरी पुत्र सांवलपुरी गोस्वामी निवासी देताखुर्द ने बीच बचाव कर छुडाया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

वृद्ध के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोस्वामी समाज में आक्रोश फैल गया। जिस पर गुरूवार सवेरे समाजबंधु सायला पुलिस थाने के आगे एकत्रित हुए और आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी के विरूद्ध नियमानुसार सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उचित कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त हुआ।

गोस्वामी समाज द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई को भी ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की गई।

# राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को

जालोर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहसान अहमद ने बैंक अधिकारियों की बैठक ली। फोटो-राष्ट्रदूत

**जालोर**, (कासं)। राज्य प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हारून के निर्देशन में जिले में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए सिविल, आपराधिक, राजस्व, उपभोक्ता मामलों के प्रकरणों एवं प्री लिटिगेशन के प्रकरणों के निस्तारण के लिए आयोजित की जाएगी। गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहसान अहमद ने बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे। बैंकों की ओर से लोक अदालत को लेकर पक्षकारों को दी जाने वाली छूट के बारे में भी प्रचार प्रसार करें एवं बैंक में इसका बैनर लगाया जाए। इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित चल रहे ऋण वसूली, एनआईएक्ट के प्रकरणों में भी संबंधित पक्षकारों से प्री काउंसलिंग कर प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में भी बैंक की ओर से दी जाने वाली छूट की योजना का प्रचार प्रसार कर प्री काउंसलिंग के जरिए प्रकरणों का निस्तारण करवाने में अपनी भूमिका निभाए। इस दौरान एसबीआई बैंक के राजेश दवे, बैंक ऑफ बदौडा के अरूण जीनगर, बैंक ऑफ इंडिया के रमेश माली, आरएमजीबी के मनीष कुमार आदि मौजूद रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहसान अहमद ने बताया कि लोक अदालत को लेकर विभिन्न न्यायालयों की ओर से प्रकरण चिन्हित किए जा रहे है, पक्षकारों को प्री काउंसलिंग के लिए नोटिसेज जारी किए जा रहे है, उन्होंने पक्षकारों से आव्हान किया है कि जब भी नोटिस प्राप्त हो तो संबंधित न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें एवं अपने प्रकरणों को राजीनामा की भावना से निस्तारित करवाए। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। इसमें दोनों पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों का निस्तारण होता है इसलिए प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण होता है। उन्होंने आमजन से न्यायालयों में चल रहे राजीनामा योग्य प्रकरणों में राजीनामा कर प्रकरणों का निस्तारण करवाने की अपील की है।

## बालोतरा कलैक्टर ने रात्रि चौपाल में समस्याएं सुनी

**बालोतरा**, (निसं)। जिला कलैक्टर सुशील कुमार यादव ने बुधवार को पाटोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिमरखिया में रात्रि चौपाल की। इस दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबधित अपनी समस्याओं से जिला कलैक्टर यादव को अवगत करवाया। उन्होने चौपाल में जनसुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। एवं संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कलैक्टर यादव ने उपस्थित ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन की शिकायतों के निस्तारण एवं जरूरतमंद को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इसको लेकर कृत संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि आमजन अपनी शिकायतों को रात्रि चौपाल में रखें, ताकि प्रशासन द्वारा इन समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए इनका आवश्यक त्वरित निस्तारण किया जा सके।

रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने राशन वितरण, पानी व बिजली की आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने एवं हटवाने, किसानों के मुआवजा, राजस्व से संबंधित मामले सहित अन्य समस्याओं की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया गया। जिला कलैक्टर यादव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही उचित एवं त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान 35 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्नर सिंह चौहान, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार समेत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला कांग्रेस कमेटी जालोर ने ई.डी., इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में आयकर कार्यालय शिवाजी नगर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल, आहोर की सरोज चौधरी, जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुम्पावत, ईशराराम विश्नोई, जुल्फिकार अली, ममता जैन, ब्लॉक अध्यक्ष भोमाराम मेघवाल, नगराध्यक्ष मुमताज अली, रमेश सोलंकी, खसाराम मेघवाल, मिश्रीमल गहलोत,अनिल पंडत,देवाराम सांखला,युवा नेता सुरेश मेघवाल, इंदु परिहार, शीला चौधरी, जुबेदा नागोरी, महेन्द्र सोनगरा, मोड सिंह काबावत, कृष्ण कुमार वनिका,उम्मेद सिंह चारण, कपूराराम परिहार, पुखराज माली, ओमप्रकाश चौधरी, हीरालाल राजपुरोहित सहित तमाम कांग्रेसजन उपस्थित थे। फोटो-राष्ट्रदूत

## प्रदर्शन किया

**पाली**, (नि.सं.)। पाली के पुराना बस स्टैंड प्रधान डाकघर के सामने गुरुवार को कांग्रेस ने दो घंटे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रही है।

पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रफीक चौहान ने बताया कि प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, प्रदेश सचिव भुराराम सीरवी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिलाध्यक्ष जब्बरसिंह राजपुरोहित, सेवादल प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन हटेला, पाली शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीवराज बोराणा, रोहट ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी सिंह राजपुरोहित, , किशोर चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मेहबूब टी, संगठन महामंत्री भंवर राव, मंडल अध्यक्ष अशोक गौड़ सहित कई जने मौजूद रहे।

## भाटी ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया

**पाली**, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी द्वारा आज जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 102 बन्दी जिला कारागृह, पाली में निरूद्ध मिले।

निरीक्षण में सचिव भाटी द्वारा बन्दीगण से वार्तालाप कर कारागृह में भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त कोई भी बन्दी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हो अथवा विधिक सहायता के अभाव में बिना अधिवक्ता के कारागृह में निरूद्ध ना रहे, इसके लिए प्राधिकरण सचिव भाटी द्वारा कारागृह में बन्दीगण को नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए ऐसे बन्दी जिनकी जमानत होने के उपरांत भी कारागृह में निरूद्ध हो इस संबंध में भी जानकारी ली गई तथा बंदियों को उनके प्रकरणों की स्थिति के बारे में बताया। जेल डिस्पेंसरी पर नियुक्त चिकित्सक द्वारा बताया गया कि दंतरोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ एवं चर्मरोग विशेषज्ञ प्रतिसप्ताह विजिट पर आते हैं तथा बंदियों की जांच करते है। कारापाल जोराराम, चिकित्सक डिस्पेन्सरी जिला कारागृह डॉ रॉयमेन जोसेफ, जेल विजिटिंग लॉयर्स रवींद्र मेलनर्स, विधि विद्यार्थी ऋषिराज राजपुरोहित आदि उपस्थित रहे।

# वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा की

**पाली**, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आज गुरूवार को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों व राजकीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रमसिंह भाटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को किया जाएगा। जिसमें प्री-लिटिगेशन के सन्दर्भ में राष्ट्रीय लोक अदालत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण और लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल मामले एवं अन्य

■ बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा करवाने के प्रयास किए जाएंगे

राजीनामा योग्य मामलों के संबंध में आयोजित की जाएगी। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से भी लोक अदालत से पूर्व प्रकरणों मे राजीनामा करवाने के प्रयास किये जायेंगे तथा जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा करवाने के प्रयास भी किये जायेंगे एवं आमजन मे लोक अदालत के प्रति जागरुकता एवं लोक अदालत के फायदो से भी अवगत करवाया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) सचिव विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में पाली मुख्यालय के बैंको एवं वित्तीय संस्थानों व राजकीय विभागों के अधिकारियों के साथ आज गुरूवार को बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व प्रकरणों के क्रम में सीमाज्ञान, पैमाईश, नामान्तरण, शुद्धि प्रकरण आदि विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों को लोक अदालत मे रेफर करने एवं प्री-काउंसलिंग के माध्यम से पक्षकारान मे राजीनामा के माध्यम से निस्तारण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से उपस्थित अधिकारीगण को निर्देश दिये कि ऋण/बकाया बिलों की वसूली प्रकरणों का लोक अदालत में अधिक संख्या में निस्तारण होता है। अत: ऋण/बकाया बिलों के प्री-लिटिगेशन प्रकरण समय रहते प्रस्तुत करें ताकि पक्षकारान को समय पर नोटिस जारी किया जा सके एवं राजीनामा के समुचित प्रयास किये जा सकें।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंकित कुमार शर्मा, बीएसएनएल कार्यालय के गजेंद्र चीतारा व विजय सिंघवी, श्रम विभाग के दिनेश सारण, नगर निगम के किशन सिंह रतनु, सीएमएचओ कार्यालय के तेजेन्द्र पाल सिंह, जिला रो.जगार कार्यालय के एवं विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

# पाली में जिला जनसुनवाई आयोजित

**पाली**, (नि.सं.)। जिला स्तरीय जनसुनवाई आज गुरूवार को जिला कलैक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला कलैक्टर एल.एन. मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

जनसुनवाई में जिला कलैक्टर मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निराकरणा के लिये संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने इस अवसर पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिये आये हुये लोगों से उनकी समस्याओं की सुनवाई कर निस्तारण के लिये संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये। साथ ही सतर्कता समिति की बैठक में 3 प्रकरणों का निस्तारण किया।

जिला कलक्टर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दियें की समस्याओं का जल्द समाधान करे और आमजन को राहत प्रदान करें। इस अवसर पर जयपुर से वर्चुअली उच्च अधिकारी भी जुडे।

इस अवसर पर जिला कलैक्टर मंत्री ने सलमा बानो के पट्टे में दस्तावेंजों की पूर्ति कर मौके पर ही हाथों-हाथ पट्टे जारी कर सपूर्द किया। जिससे सलमा की खुशी का ठिकाना नही रहा।

जनसुनवाई में कुल 66 प्रकरण की सुनवाई की जिसमें से 14 प्रकरणो का हाथों हाथ निस्तारण किया गया और शेष रहे प्रकरणों को सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में नये परिवादों में राजस्व के 16 प्रकरण, आरडी/पीआर के 4, स्वायत्त शासन के 17, पुलिस के 5 एवं अन्य 6 प्रकरण आये साथ ही बिजली, पेयजल, रसद ,कृषि व सहकारिता विभाग के प्रकरणों की सुनवाई कर संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये।

पाली में जिला स्तरीय जनसुनवाई कलैक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कलैक्टर एल.एन. मंत्री की अध्यक्षता में हुई। फोटो-राष्ट्रदूत

इस अवसरर पर जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने बैठक में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दियें।

जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने आयोजित जिला सतर्कता समिति की बैठक में 3 प्रकरणों का निस्तारण किया व कुल 9 प्रकरणों की सुनवाई की अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन अश्विनी सिंह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, यूआईटी सचिव डॉ पूजा सक्सेना, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान ब्लॉक लेवल अधिकारी वीसी से जुड़े।

## कवि सम्मेलन आज

**बालोतरा**, (निसं)। राजस्थान के प्रख्यात साहित्यकार डॉ. नृसिंहराज राजपुरोहित के जन्म दिवस पर उनके पैतृक गांव खंडप में शुक्रवार को विराट राजस्थानी कवि सम्मेलन होगा।

जानकारी के अनुसार राजस्थानी भाषा को मान्यता व उसको बढ़ावा दिलाने के लिए यह कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।


**कार्यालय नगर पालिका बिलाडा जिला-जोधपुर**

क्रमांक-नपाबि/भवन निर्माण व नामान्तरण/2025-26/53 दिनांक :- 09.04.2025

**आम आपति सूचना**

| क्र. सं. | आवेदक का नाम व पिता का नाम | जाति | पता | वर्गमीटर | उत्तर | दक्षिण | पुर्व | पश्चिम | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मनोहर लाल पुत्र श्री लक्ष्मण राम | सीरवी | न्यू लाइट कॉलोनी बिलाड़ा | 125.41 | प्लोट न.12 आया हुआ है। | प्लोट न.10 आया हुआ है। | जगदीश व बाअुलाल सीरवी का प्लोट है। | प्लोट निकाल व आगे 20 फिट चौडा रास्ता है। | भवन निर्माण |
| 2 | श्री पप्प सिंह पुत्र श्री चतुर्भज टांक | टांक | तहसील रोड़ बिलाड़ा | 142.22 | डामर की सडक ग्राम बिलाड़ा से स्टेशन की है। एवं मकान का निकाल निकाल आया हुआ है। | गली, मकान का निकाल व इन्द्र बनवट का मकान की पुठ व निकाल। | गली व इसके परे राजेन्द्रसिंह जी पुत्र बिजेन्द्रसंह जी की जायगा आई हुई ह। | गली व इसके परे श्रीमजी तीजादेवी धर्मपत्नी तेजाराम सीरवी गहलोत की जायगा स्थित है।। | भवन निर्माण |
| 3. | श्री विमला चौधरी पत्नी श्री ओम प्रकाश जाट | जाट | मोतेश्वरी नगर विस्तार बिलाड़ा | 127.08 | प्लोट न. 72 आया हुआ है। | प्लोट न. 70 आया हुआ है। | अन्य भूमि है। | प्लोट निकाल व आगे 30 फिट चौडा रास्ता है। | भवन निर्माण |
| 4. | श्री मोती लाल पुत्र श्री मोहन लाल | पटेल | मास्टर किशन लाल रोड बिलाड़ा | 26.04. | गुजर की गली | मंगलाराम जी की दुकान। | सडक के मध्य से 50 फिट सड़क | जग्गाराम मेघवाल की जायगा। | भवन निर्माण |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 ए के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जायेगा।

राज.संवाद/सी/25/907 अधिशाषी अधिकारी